

1116

**निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र  
निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र, ढोली**

(डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार)

सूचना सं० ...../निदेशक, (बीज) ढोली

दिनांक 02/03/2020


**पुर्नःनिविदा सूचना**

निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र के अन्तर्गत ढोली कोठी प्रक्षेत्र प्रांगण में अवस्थित शीशम एवं अन्य लकड़ी के लॉट की बिक्री के लिए मुहरबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में विहित प्रपत्र पर दिनांक 27.01.2020 से दिनांक 20.02.2020 के 5:00 बजे अपराहन तक आहूत की गयी थी, जिसे पुर्नःनिविदा करते हुए निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.03.2020 के 5:00 बजे अपराहन कर दिया गया है। इच्छुक व्यक्ति निबंधित डाक द्वारा निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उक्त तिथि तक भेज सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 19.03.2020 को 11:00 बजे पूर्वाहन में समिति के सदस्यों के समक्ष ढोली प्रक्षेत्र में खुलेगी। निविदादाताओं को रूपया 5000=00 (पाँच हजार रूपया) मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रति लॉट अलग-अलग निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, ढोली सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ढोली में देय होगा। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदा की सम्पूर्ण बिक्रय राशि उक्त तिथि को मान्य GST के साथ 36 घंटे के अन्दर जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी। बैंक ड्राफ्ट सफल निविदादाताओं को छोड़ कर शेष निविदादाताओं को निविदा समाप्ति के तुरंत बाद वापस कर दिया जायेगा।

समिति को किसी भी लॉट को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा। निविदा पत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। लॉट वाइज लॉग की सूची ढोली कोठी प्रक्षेत्र के सूचना पट्ट पर दर्शायी गयी है, साथ ही एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। निविदा पत्र सिर्फ निबंधित डाक द्वारा निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, ढोली के नाम से भेजना होगा।

**शर्तः-**

1. सफल निविदादाताओं को लॉट को दस दिनों के अन्दर उठा लेना होगा। अन्यथा प्रति दिन 100.00 (एक सौ रू०) प्रति लॉट की दर से शुल्क जमा करना होगा।
2. लॉट वाइज लॉग को सुरक्षा एवं अन्य प्रकार की जिम्मेवारी निविदा समाप्ति के बाद निविदा लेने वाले की होगी।
3. निविदाकर्ताओं लकड़ी के लॉट को जिला एवं राज्य के बाहर ले जाने के लिए Transit permit (वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा पत्र) वन विभाग मुजफ्फरपुर वन प्रमंडल से लेना आवश्यक होगा। इसके लिए निदेशालय जिम्मेवार नहीं होगा।

  
निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र  
02/03/2020